

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक (सर्वश्री/श्रीमती)	विषय	कहाँ से (राजमावि)	जिला	कहाँ को (राजमावि)	जिला
1	MINAKSHI SHARMA	PHYSICS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAU (219844)	NAGAU R	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAGHUNATHPURA (212242) (नव सृजित पद पर)	GANGANA GAR
2	SURENDER SINGH	PHYSICS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DESURI (221375)	PALI	(RESOURCE PERSON) Chief Block Education Officer, Block- PILIBANGAN	HANUMA NGARH
3	PRAVEEN KUMAR JANU	MATHEM ATICS	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MALASAR (211178)	BIKANE R	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SHIMLA (216003), KHETRI (08050606204)(KHETRI)	JHUNJHUN

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।


(सौरभ स्वामी)

आईएसएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगव्/भौतिक/गणित/स्थानान्तरण/2020-21/1-3 दिनांक: 04/01/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 आयुक्त, समसा जयपुर को भेजकर निवेदन है कि क्र.सं. 02 पर अंकित कार्मिक की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करावें।
- 3 शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।
- 6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- 7 अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की प्रभावी मोनटरिंग करें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर